निगरानी 841-PBR-15

(59)

छुटैया उर्फ हरप्रसाद कहार आयु करीब 48 वर्ष
आ0 स्व. पतिराम कहार निवासी नाव धाट
मोहल्ला होशंगाबाद
तह0 व जिला होशंगाबाद————————————————————अपीलार्थी

बनाम

1 श्री राम कहार आ0 स्व. पतिराम कहार
निवासी हनुमान नगर रसूलिया होंशगाबाद
तह0 व जिला होशगाबाद
2 हरिराम कहार आ0 स्व. श्री पतिराम कहार
निवासी नाव धाट शानिचरा मोहल्ला होशगाबाद
तह0 व जिला होंशगाबाद
3 राम शंकर कहार आ0 स्व. पतिराम कहार
निवासी भीलपुरा होशंगाबाद
तह0 व जिला होशगाबाद
4 लक्ष्मण प्रसाद कहार आ0 स्व. पतिराम कहार
निवासी मकान न. 1096 आयुध निर्माणी इटारसी
तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
5 श्रीमति राम बाई पुत्री स्व. श्री पतिराम कहार
पत्नि स्व. माखनलाल निवासी ग्राम रायपुर
तह0 व जिला होशगाबाद
6 श्रीमति जमना बाई पुत्री स्व. पतिराम
पत्नि धन्नालाल कहार निवासी भीलपुरा होशंगाबाद
तह0 व जिला होशगाबाद
7 म. प्र. शासन द्वारा जिलाधीश महोदय होशंगाबाद
तह0 व जिला होशगाबाद————————————————————उत्तरवादीगण

श्री दिवाकर दीक्षित एड.
द्वारा आज दि. 22-4-15
प्रस्तुत
22-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालि.
दिवाकर दीक्षित (एड)
22-4-15

पुर्नरीक्षण याचिका धारा 50 म. प्र. भू राजस्व सहिता के अंर्तगत

पुर्नरीक्षणकर्ता यह याचिका ग्राग बेगनिया की संशोधन पंजी कं 132/150/2 दिनांक 20.05.2007 ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2007 प्रस्ताव कं 6 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी इटारसी राजस्व प्रकरण कं 19अ/6 वर्ष 2013–14 श्री राम बनाम छुटैया में पारित अर्तवर्ती आदेश दिनांक 31.03.2015 नियत दिनांक 20.04.2015 से क्षुब्द एवं व्यथित होकर प्रस्तुत कर रहा है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरवादी क 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के समक्ष धारा 44 म. प्र भू राजस्व सहिता के अंर्तगत अपील प्रस्तुत की [illegible] अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया आवेदन पत्र [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 841-पीबीआर/2015 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	